बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या 41/2011, सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा, 2010

गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक अभियोजन पदाधिकारी, वेतनमान पी॰बी॰–2 पे बैण्ड, 9300–34800/– + ग्रेड पे 4800/– के कुल 80 (अस्सी) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इन 80 (अस्सी) पदों में से अनारक्षित (01) का 40 (चालीस), अनुसूचित जाति (02) का 13 (तेरह), अनुसूचित जनजाति (03) का 01 (एक), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) का 10 (दस), पिछड़ा वर्ग (05) का 14 (चौदह) एवं पिछड़े वर्ग की महिला (06) का 02(दो) पद अनुमान्य है। इन अनुमान्य पदों में से विकलांगों का 03 (तीन) प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

2. **शैक्षिक योग्यता** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक।

3. **उम्र सीमा** : दिनांक 1.8.2010 को अधिकतम,
   (1) अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष
   (2) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष
   (3) अनारक्षित वर्ग – (महिला) – 40 वर्ष
   (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष

   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007 के आलोक में; बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को, जो तीन वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा/सम्वर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है। साथ ही कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की संकल्प ज्ञापांक 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को उक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है।

   कार्मिक एवम् प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक मे भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी वशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

4. **चयन की प्रक्रिया** : नियुक्ति हेतु चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा।

(अ) लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नवत् हैं:–

परीक्षा के अनिवार्य विषय

क्र॰सं॰	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
1.	सामान्य ज्ञान (सामयिक घटनाओं सहित) (General Knowledge including current affairs)	01	150
2.	प्रारंभिक सामान्य विज्ञान (Elementary General Science)	02	100
3.	सामान्य हिन्दी (General Hindi)	03	100
4.	सामान्य अंग्रेजी (General English)	04	100
5.	साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि (Law of Evidence & Procedure)	05	150

सामान्य हिन्दी और सामान्य अंग्रेजी पत्र में 30 अंक न्यूनतम योग्यता प्रदायी होगा जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यताप्राप्त नहीं माना जायेगा। सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी के प्राप्तांक मेधा सूची में नहीं जोड़े जायेगें।

परीक्षा के ऐच्छिक विषय

उम्मीदवारों को निम्नांकित पाँच विषयों में से किसी तीन विषय को चुनने की स्वतंत्रता होगी :–

क्र॰सं॰	विषय	विषय कोड	पूर्णांक
6.	भारत और इंगलैंड की संवैधानिक विधि (Constitutional Law of India & England)	06	150
7.	हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि (Hindu Law & Mohammadan Law)	07	150
8.	संपत्ति अंतरण विधि (Law of Transfer of Property) और साम्य सिद्धान्त (Principle of Equity), न्याय विधि–विशिष्ट और अनुतोष (Law of Trusts and Specific Relief) सहित	08	150
9.	संविदा और अपकृत्य विधि (Law of Contracts & Torts)	09	150
10.	वाणिज्य विधि (Commercial Law)	10	150

(ब) लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण आयोजित किया जायेगा। (लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।)

(स) गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार की अधिसूचना सं॰ – 6375, दिनांक 06.08.2010 मे निहित प्रावधान के आलोक में रिक्ति के विरूद्ध अत्यधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लिखित परीक्षा के पूर्व प्रारम्भिक परीक्षा का भी आयोजन किया जा सकता है।

विज्ञापन संख्या 42/2011, सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा, 2011

गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार के अन्तर्गत सहायक अभियोजन पदाधिकारी, वेतनमान पी॰बी॰–2 पे बैण्ड, 9300–34800/– + ग्रेड पे 4800/– के कुल 80 (अस्सी) पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इन 80 (अस्सी) पदों में से अनारक्षित (01) को 40 (चालीस), अनुसूचित जाति (02) को 14 (चौदह), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (04) को 14 (चौदह), पिछड़ा वर्ग (05) को 10 (दस) एवं पिछड़े वर्ग की महिला (06) को 02(दो) पद अनुमान्य हैं। इन अनुमान्य पदों में से विकलांगों को 03 (तीन) प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

2. **शैक्षिक याग्यता** : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक।

3. **उम्र सीमा** : दिनांक 1.8.2011 को अधिकतम उम्र सीमा वहीं होगी जो विज्ञापन सं॰ 41/2011 के लिए निर्धारित है।
   कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16.07.2007, संकल्प ज्ञापांक –62, दिनांक 05.01.2007 एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक 2447, दिनांक 06.03.1990 के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों, विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को क्रमशः अधिकतम उम्र सीमा में वही छूट अनुमान्य होगी जो विज्ञापन संख्या 41/2011 मे उल्लिखित है।

4. **चयन की प्रक्रिया** : चयन की प्रक्रिया वही होगी जो विज्ञापन सं॰ 41/2011 के लिए निर्धारित है।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश/आवेदन प्रपत्र

5. प्रविष्टिः

(i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। **निर्धारित प्रपत्र से अलग मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) **आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।**

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे –

1. **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; स्निग्धा, इस प्रकार भरा जाय–**

स्नि	न	ग	धा		

2. **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।**
3. **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**
4. **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।**

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) **क्रमांक 9 'शैक्षिक योग्यता'' के अधीन** $\frac{\text{'प्राप्तांक}}{\text{'पूर्णांक}}$ **एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।**

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 12 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 13 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (×) कर दें।

6. <u>फोटोग्राफ</u>ः

आवेदन–पत्र के पृ० 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

7. <u>लिफाफा</u>ः

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं० एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) **विहित आवेदन पत्र के साथ प्रवेशिका प्रमाण पत्र, स्नातक विधि प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर प्रमाण पत्र सहित) एवम् विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।**

(iii) **16 × 10 से०मी० का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 25–25 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।**

8. <u>आरक्षण</u>ः

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं० 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी; उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

9. <u>शुल्क</u>ः

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/– (पचहत्तर) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 125/– (एक सौ पचीस) रूपये तथा अन्य के लिए 300/– (तीन सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 350/– (तीन सौ पचास) रूपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें।**

10. <u>अन्य</u>ः

अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अलग–अलग विज्ञापन संख्या के अलग–अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार ही शुल्क जमा करना होगा।

11. <u>अंतिम तिथि</u>ः

(i) **भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि गुरूवार, दिनांक 17.11.2011 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना